तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मानकौर बनाम लो.सू.अ. (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 17 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मानकौर पुत्री शंभुदत्त पुरोहित, पता जालप मौहल्ला जोधपुर हाल मार्फत राजेन्द्र प्रसाद बोहरा चौपासनी मंदिर के पास तीसरी गली, चौपासनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.11.2019 में उसके द्वारा (1) पिता शंभुदत्त पुरोहित का पी.पी.ओ. नम्बर 10588 (आर) को फोटो प्रति व प्री 1988 के वेतन निर्धारण जो आप द्वारा किया गया उसकी प्रति उालब्ध व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से जरिये पत्रांक 2811 दिनांक 24.01.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया गया कि प्री 88 की अधिकृति जारी किये जाने का कार्य पेंशन विभाग द्वारा किया जाता है न कि इस कार्यालय से। इससे संबंधित दस्तावेज पेंशन विभाग से प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.11.19 द्वारा सूचित किया गया। अपनी रिपोर्ट के बिन्दु सं0 –9 में बतलाया कि पुराने रिकॉर्ड की जांच किये जाने के पश्चात् प्राप्त पत्रावली की सम्पूर्ण फोटो प्रतियां कुल 33 पेज कार्यालय के पत्रांक 2797 दिनांक 24.01.20 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट व संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को 33 पृष्ठीय सूचना रजिस्टर्ड पत्र से दिनांक 24.01.2020 को भिजवाई जा चुकी है अतः यह अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	